प्रेस नोट 26/6/2025

**गाँजा तस्करो पर नकेल, एस.ओ.जी मऊ व एस.टी.एफ. लखनऊ व कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम को मिली सफलता "**

**(12 कुन्तल 70 किलो 900 ग्राम गांजा के साथ 01 नफर अन्तरप्रान्तीय तस्कर गिरफ्तार।)**

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध नियत्रंण के उद्देश्य से अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में, एस.टी.एफ. लखनऊ थाना कोतवाली नगर व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.06.2025 को मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर तालीमुद्दीन इन्टर कालेज के सामने मऊ आजमगढ़ की तरफ जाने वाले रोड पर खड़ा है, गाड़ी मिस्त्री को खोज रहा है जो संदिग्ध प्रतीत हो रहा हैं , मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके संयुक्त पुलिस टीम द्वारा तालीमुद्दीन इन्टर कालेज के सामने पर पहुंचकर मुखबिर के बतायेनुसार गाड़ी व ड्राइवर को सन्देह के आधार पर चेक किया गया तो 15 प्लास्टिक लगा कार्टून व 09 बोरी से सिला हुआ कार्टून कुल 24 कार्टून में कुल 12 कुंतल 70 किलो 900 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ है जो उच्च गुणवत्ता का होना पाया गया है। मौके से अभियुक्त (1) जनार्दन पाण्डेय पुत्र जय जय राम पाण्डेय निवासी गंगापुर भुलिया पोस्ट बेथरा थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 51 वर्ष को समय 19.20 बजे गिरफ्तार किया गया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत लगभग तीन करोड़ 12 लाख रूपये आंकी गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

- अपराध का तरीका – उक्त अभियुक्त एक शातीर किस्म का अपराधी है जो मिलिट्री के घरेलू सामान के बहाने बनाकर ट्रान्सफर जाने की बिल्टी आर्डर बनाकर धोखा देकर गाँजा की वाहन से व्यवसाय के रुप में तस्करी करते है। सरल व सुगम तरीके से अत्यधिक पैसे कमाने की लालच में अपना एक गिरोह बनाकर तेजपुर से लखनऊ सड़क मार्ग से गांजा लाकर पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में बिक्री करके धनार्जन करते है तथा अपराध करके कमाये हुए पैसों को अपने ऐश आराम और घर परिवार पर मिल बांटकर खर्च करते हैं।
- गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान –
  दिनांक – 23.06.2025
  समय – 19.20 बजे
  स्थान – तालीमुद्दीन इन्टर कालेज के सामने थाना कोतवाली नगर मऊ।
- पंजीकृत अभियोग का विवरण –
  मु.अ.सं. 202/2025 धारा 318(2)/319(2)/336(2)/338/340(2) बीएनएस व 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
- गिरफ्तार अभियुक्त
  (1) जनार्दन पाण्डेय पुत्र जय जय राम पाण्डेय निवासी गंगापुर भुलिया पोस्ट बेथरा थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 51 वर्ष
- बरामदगी का विवरण –
  15 प्लास्टिक लगा कार्टून व 09 बोरी से सिला हुआ कार्टून के अन्दर कुल 24 कार्टून में कुल 12 कुंतल 70 किलो 900 ग्राम गाँजा नाजायज कीमत करीब तीन करोड़ 12 लाख रूपये
- गिरफ्तारी बरामदगी में शामिल पुलिस टीम का विवरण –
  1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
  2. उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह प्रभारी स्वाट / सर्विलांस टीम जनपद मऊ
  3. उ0नि0 सुनील कुमार सरोज थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
  4. हे0का0 लायक हुसैन स्वाट टीम जनपद मऊ
  5. हे0का0 नीरज शर्मा स्वाट टीम जनपद मऊ

6. हे0का0 कमलेश कुमार ठाकुर स्वाट टीम जनपद मऊ
7. हे0का0 राकेश यादव सर्विलांस टीम जनपद मऊ
8. का0 ज्ञानेन्द्र पाण्डेय स्वाट टीम जनपद मऊ
9. का0 ऋषभ द्विवेदी स्वाट टीम जनपद मऊ
10. का0 अश्वनी कुमार गौड़ सर्विलांस टीम जनपद मऊ
11. का0 विराट पटेल स्वाट टीम जनपद मऊ
12. का0 बृजेश मौर्या सर्विलांस टीम जनपद मऊ
13. का0 अनिरुद्ध सिंह स्वाट टीम जनपद मऊ
14. हे0का0 ड्राइवर बब्बन स्वाट टीम जनपद मऊ
15. का0 विजय कुमार यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
16. का.अमरेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
17. का.राम प्रसाद थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
18. का.राहुल मौर्या थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

01 वांछित,01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.06.2025 को थाना सरायलखन्सी  पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बढ़ुआ गोदाम के पास मु0अ0स0 235/25 धारा 137(2), 87, 64, 352, 351(2) बीएनएस 3(2)v एससी/ एसटी एक्ट व 5एल/6 में वांछित अभियुक्त  बबलू राजभर पुत्र बरखू राजभर निवासी डुमराव थाना सरायलखन्सी, थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त लाल बहादुर उर्फ डब्लू उर्फ कल्लू पुत्र राम अवध निवासी भदेसरा थाना  दक्षिण टोली जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायलय किया गया।

"